निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 25 / 2024
दायरा दिनांकः–02.07.2024
निर्णय दिनांकः– 29.09.2025

उनवान

1. सरिफन बी आयु 58 वर्ष पुत्री अब्दुल रहमान पत्नि कल्लु खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम खोखई हाल मुकाम किशनगंज बारां तहसील बकानी जिला झालावाड (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 29.09.2025

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अजय कुमार – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 5 की खसरा संख्या 190/103 की रकबा 1.2646 है०, भूमि वाके माल खोखई पटवार हल्का गूगोर तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) मे स्थित है जिसमे प्रार्थीया का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड जमाबंदी चला आ रहा है जिसकी वर्तमान जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित भूमि के अपने हिस्से पर गत् कई वर्षो काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करता चली आ रही है। प्रार्थीया के पिता का फौती इन्तकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियो के सहवन से इन्तकाल मे प्रार्थीया का नाम सरिफन बी के स्थान पर घर मे बोलता नाम छब्बो बी दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम सरिफन बी है जिसे दुरूस्तीकरण किया जाकर छब्बो बी के स्थान पर सरिफन बी किया जाना अत्यंत न्यायोचित व अतिआवश्यक है। प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड सभी मे प्रार्थीया का नाम सरिफन बी दर्ज है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का गलत छब्बो बी दर्ज होने से उसे केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओ के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के खाते पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर, टयूबवैल लगाकर, तारफैन्सिग

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कर, भूमि समतल करवाकर प्रगति शील काश्त करना चाहता है परन्तु जो प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में नाम दुरस्तीकरण किये बिना संभव नही है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्यें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खोखई सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 5 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, फोटो प्रति पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खोखई तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/2 दर्ज है। प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि पर काबिल काश्त करती चली आ रही है प्रार्थीया के पिता का स्वर्गवास हो गया है प्रार्थीया के पिता का फोती नामान्तरण खोलतें समय सहवन से नामान्तरण में प्रार्थीया का नाम सरिफन बी के स्थान पर घर में बोलता नाम छब्बो बी दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम सरिफन बी दुरूस्त कराना चाहती है प्रार्थीया के अन्य सभी दस्तावेजात में सरिफन बी दर्ज प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को राज्य सरकार से मिलने वाले सभी लाभों से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम छब्बों बी के स्थान पर सरिफन बी दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम खोखई के खाता संख्या 5 के खसरा नम्बर 190/103 के खातेदार छब्बों पुत्री अब्दुल रहमान जाति मुसलमान सा0 छबडा के जॉच हेतु मौके पर पहुंचे ग्राम गुगोर में उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा बताया गया कि छब्बों पुत्री अब्दुल रहमान के नाम खातेदार सरिफन बी उर्फ छब्बो पुत्री अब्दुल रहमान एक ही महिला है। हाल मुकाम बारां किशनपुरा जिला झालावाड के निवासी है उक्त महिला के बारे में ग्राम वासियों के द्वारा बताया जिनके आधार कार्ड की कॉपी संलग्न है। अतीक खां पुत्र बशीर खां, कदीर पुत्र अब्दुल कदीर नफीस पुत्र लतीफ, शराफतुल्ला पुत्र इनायतुल्ला खान, अब्दुल रजाक पुत्र अब्दुल रहमान उक्त ग्राम वासी निवासी गुगोर हाल मुकाम छबडा

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खोखई सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 5 में अब्दुल रजाक, पुत्र अब्दुल रहमान एवं छब्बो बी पुत्री अब्दुल रहमान हिस्सा 1/2, 1/2 दर्ज है प्रार्थीया के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक में प्रार्थीया का नाम सरिफन बी दर्ज है प्रार्थीया का नाम अन्य दस्तावेजात में सरिफन बी एवं राजस्व रिकार्ड में छब्बों दर्ज है प्रार्थीया अपना नाम मुताबिक अन्य दस्तावेजो के आधार पर राजस्व रिकार्ड में भी ना दुरूस्त करा कर सरिफन बी दर्ज करवाना चाहती है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से भी रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने दोनो नाम एक ही महिला के होना बताया है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खोखई तहसील छबडा के खसरा नम्बर 190 / 103 रकबा 1.2646 है0 में दर्ज प्रार्थी का नाम छब्बों बी के स्थान पर छब्बों बी उर्फ सरिफन बी दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)